न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 55/2012 | तारीख दायर 16-02-2012 | तारीख फैसला 17/05/2022

उनवान

01. दीपोबाई पुत्री ज्योतिबाई पुत्री मोहनसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) ———:: वादी

(ब ना म)

01. बुद्धसिंह
    - 1/1 – जीतोबाई बेवा बुद्धसिंह
    - 1/2 – हरप्रीतसिंह
    - 1/3 – हरबंस सिंह
    - 1/4 – जसवन्त सिंह पुत्रान बुद्धसिंह
    - 1/5 – हरबंसो बाई
    - 1/6 – ज्योतिबाई पुत्रीयान बुद्धसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा
02. रामसिंह पुत्रान मोहनसिंह
03. राजेन्दसिंह
04. पप्पुसिंह पुत्रान पुरणसिंह
05. मिन्दाबाई पुत्री पुरणसिंह
06. गिन्दोबाई पुत्री पुरणसिंह
07. सुमित्रोबाई पुत्री पुरणसिंह
08. इन्दाबाई पुत्री पुरणसिंह
09. सुन्दोबाई पुत्री पूरणसिंह जातियान रायसिख निवासीगण ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
10. सुभाष
11. विरेन्द्र पुत्रान बन्शीलाल जातियान अहीर निवासीगण राजकोरी गार्डन नई दिल्ली–38
12. भूमिधारी राज्य सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: असल प्रतिवादीगण

13. गुरदेवा बाई पुत्री मोहनसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: तरतीबी प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय तकासमा मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 वो 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 है0, 70 रकबा 0.82 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 69 व 70 वाके ग्राम सलारपुर अन्य आराजी खसरा नम्बर 59 के साथ मोहनसिंह पुत्र जैनासिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा की

उपखण्ड अधिकारी

कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। वादिया मोहनसिंह की पुत्री ज्योतिबाई की जाईज पुत्री है। यानि की मोहनसिंह खातेदार की नवासी है। जिस प्रकार उक्त आराजी वादियां एवं असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 व तरतीबी प्रतिवादिया संख्या 13 को विरासत मे प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी मोहनसिंह की मृत्यु उपरान्त मिन वादिया को 1/6 भाग व रज्जोबाई की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी में मिन वादिया की हिस्सा 1/5 भाग है। रज्जोबाई की मृत्यु उपरान्त उसकी आराजी का विरासत इंतकाल संख्या 564 दर्ज वो मंजूर किया गया। जिसमें मिन वादियां का नाम भी दर्ज किया गया तथा रज्जोबाई की विरासत मे मिन वादिया को हिस्सा भी दिया गया परन्तु उक्त हिस्सा केवल खसरा नम्बर 69 व 70 में जब मोहनसिंह की मृत्यु उपरान्त उसका विरासत इंतकाल संख्या 262 दर्ज वो मंजूर किया गया, को मोहनसिंह की विरासत का इंतकाल अकेले असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 3 लगायत 9 के पति व पिता ने अकेले अपने नाम दर्ज व मंजूर करा लिया तथा आराजी का बेचान चुपचाप रूप से मिन वादिया को जानकारी दिये बिना ही अकेले असल प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को कर दिया जबकि उक्त आराजी में भी मिन वादीयां का 1/5 भाग है तथा मुताबिक उत्तराधिकार कानून भी मिन वादिया को उक्त हिस्सा प्राप्त हुआ है। उक्त तथ्य की जानकारी मिन वादीया को महिला होने के नाते पूर्व में कभी ना हो सकी तथा मिन वादीया सही समझती रही कि खसरा नम्बर 59 मे ही जो विरासत इंतकाल संख्या रज्जोबाई बाबत इंतकाल संख्या 564 मे मिन वादिया का नाम दर्ज व मंजूर किया गया, उससे अन्य आराजी खसरा नम्बर में भी मिन वादिया के नाम का अंकन आ चुका है। परन्तु असल प्रतिवादीगण ने मिन वादिया को बताये बिना ही आराजी का बेचान खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व बिला कब्जा वादिया का हिस्सा हडप करने की नियत से असल प्रतिवादी सख्या 10 व 11 को कर दिया जबकि मिन वादिया आराजी खसरा नम्बर 69 व 70 के 1/5 भाग मे आज भी बदस्तूर काबिज व दाखिल चली आ रही है और मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 69 व 70 की बाबत मोहनसिंह की विरासत इंतकाल संख्या 262 जो दर्ज व मंजूर किया गया है मे एकपक्षीय रूप से मिन वादिया को बिना सुने खिलाफ मौका व खिलाफ उत्तराधिकार कानून दर्ज व मजूर किया गया है जो मिन वादिया के 1/5 भाग तक बातिल वो बेअसर है एवं असल प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को किया गया बेचान भी मिन वादिया के 1/5 भाग तक बातिल वो बेअसर है, जो विधि विरूद्व इंतकाल के आधार पर विधि विरूद्व रूप से बिला कब्जा व पोशिदा तौर पर किया गया है। जिन्हे इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाया जाकर मिन वादिया बाद डिक्री इश्तकरारहक आराजी की 1/5 भाग में स्वय को खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारिणी है एवं वर्तमान रिकार्ड में 1/5 भाग में स्वयं के नाम का अमल कराने की अधिकारिणी है। उक्त आराजी में तर. प्रतिवादियां संख्या 13 का नाम भी अमल में अपने से रह गया था। परन्तु उक्त विवादित आराजी में भी उसके हक व हकूक निहित है। इसलिए तरतीबी प्रतिवादीयां संख्या 13 की जद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। गलत अमल की आड में असल प्रतिवादीगण ने मिन वादिया को आराज से बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां दी है तथा मिन वादियां को उसके हिस्से से बेदखल कर असफल प्रयास किया है एवं गलत अमल की आड में आराजी दीगर जगह रहन बैय हिबा लीज इत्यादि से मुन्तकिल करने की धमकी दी है। यदि वाकई में असल प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादियां को अजहद हानि होगी और दीगर मुकदमेंबाजी में पडना पडेगा। जिसकी पूर्ति रूपयों में संभव नहीं होगी। इसलिए मिन वादियां अपने हितो की सुरक्षार्थ असल प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पावन्द कराने की अधिकारिणी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान 1/1 लगायत 1/6 ने उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र वीरोवाई पुत्री ज्योतिबाई पुत्री मोहनसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर, करनेलसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अलवर)

बहादुरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर, करतारसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सलारपुर तथा प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2029 (प्रदर्श 1) ग्राम सलारपुर, जमाबन्दी संवत् 2038 (प्रदर्श 2), हाल जमाबन्दी संवत् 2043 (प्रदर्श 3), जमाबन्दी संवत् 2034 (प्रदर्श 4), जमाबन्दी संवत् 2050 (प्रदर्श 5), जमाबन्दी संवत् 2067–70 (प्रदर्श 6) पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया गया है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 है0 व 70 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर का वादी काबिज काश्तकार खातेदार घोषित कराने व तकासमा डिक्री वादीयां विरूद्व असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया। वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादीयां का वाद डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 है0, 70 रकबा 0.82 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर का वादीयां को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)